संख्या– 1345 / 5–10–13–एफ–15 / 12 टी0सी0

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1– **महानिदेशक,**
परिवार कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2– **मिशन निदेशक,**
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2013

विषयः– परिवार नियोजन कार्यक्रम में आशा प्रोत्साहन राशि योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–एन–11012 / 11 / 2012 एफपी दिनांक 13.05.2012 के क्रम में महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0 / 10–जे.डी. / 166 / 2012 / 3800 दिनांक 28.08.12 एवं मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– एन.आर.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / ए. 1 / 129 / 12–13 / 2329 दिनांक 17.12.12 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत ''आशा'' कार्यकत्रियों द्वारा पात्र दम्पत्तियों को परिवार नियोजन की अस्थायी एवं स्थायी विधियों को अपनाने हेतु परामर्श प्रदान करने एवं पात्र दम्पत्तियों द्वारा उनका उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु आशाओं को निम्नवत् प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य की गयी है:–

- नवविवाहित दम्पत्तियों को विवाह के उपरान्त दो वर्षों तक अन्तराल विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु रु0 500 / – प्रति केस।
- दम्पत्ति जिनके एक बच्चा है, को पहले बच्चे के जन्म से 03 वर्षों तक अन्तराल विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु रु0 500 / – प्रति केस।
- दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थायी विधियों (महिला / पुरुष नसबंदी) का परामर्श प्रदान कर चयन सुनिश्चित करने हेतु रु0 1000 / – प्रति केस।

2– इस योजना के अंतर्गत शर्ते व अर्हताएं निम्नवत् हैं:–

शर्ते

- यद्यपि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की ''आशा'' कार्यकत्रियों हेतु हैं परन्तु यदि नगरीय क्षेत्र में ''आशा'' की भांति लिंक वर्कर अथवा नगरीय आशा की तैनाती की जाती है, तो यह योजना नगरीय क्षेत्र हेतु भी समान रुप से लागू होगी।
- वह क्षेत्र जहां ''आशा'' कार्यकर्त्रियां तैनात नहीं है, वहां पर यदि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा यह कार्य किया जाता है तो उन्हें भी इस योजना से आच्छादित किया जा सकेगा।

<u>अर्हतायें</u>

- इस योजना के समस्त पात्र दम्पत्ति (सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय व आर्थिक वर्ग) आच्छादित होंगें।
- विवाह के उपरान्त 02 वर्ष तक अन्तराल विधियों हेतु केवल ऐसे दम्पत्तियों को संज्ञान में लिया जायेगाः—
  - ➢ जिनका विवाह योजना प्रभावी होने की तारीख को अथवा उसके उपरान्त हुआ हो।
  - ➢ जिनका विवाह योजना प्रभावी होने की तारीख से पूर्व हुआ है, परन्तु पत्नी अधिसूचना जारी होने की तारीख को गर्भवती न हो।
  - ➢ पुष्टि हेतु विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र/ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई ऐसा प्रमाण पत्र, जो कि विवाह की पुष्टि करता हो, का होना अनिवार्य होगा।
- पहले बच्चे के जन्म से 03 वर्षो तक अन्तराल विधियों हेतु केवल ऐसे दम्पत्तियों को संज्ञान में लिया जायेगाः—
  - ➢ जिनके पहले बच्चे का जन्म योजना प्रभावी होने की तारीख अथवा उसके उपरान्त हुआ हो।
  - ➢ जिनके पहले बच्चे का जन्म योजना प्रभावी होने की तारीख से पूर्व हुआ है परन्तु पत्नी योजना प्रभावी होने की तारीख को पुनः गर्भवती न हो (इस हेतु पहले बच्चे का जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं ग्राम प्रधान द्वारा बच्चों की संख्या की पुष्टि हेतु निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।)
- 02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों द्वारा स्थायी विधियों हेतु केवल ऐसे दम्पत्तियों को ही संज्ञान में लिया जायेगाः—
  - ➢ जिनके द्वारा स्थायी विधि (महिला/पुरुष नसबंदी) को योजना प्रभावी होने की तारीख के उपरान्त अपनाया गया हो।

3— उक्त योजना के लागू किये जाने के फलस्वरुप आवश्यक धनराशि की व्यवस्था एवं व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4— प्रश्नगत योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू मानी जायेगी। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से जनपदों को प्रेषित किये जायेंगे।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1345 (1)/5–10–13–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2– महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3– प्रदेश के समस्त अपर निदेशक,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4– प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी ।
5– प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय।
6– प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज।
7– प्रभारी कम्प्यूटर सेल।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डा0 चिरंजी लाल)
विशेष सचिव।